

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक
प्रति,

/ कार्य / वि / यां एस.ओ.आर / 2009.

भोपाल, दिनांक / 4 / 2009

- 1- समस्त मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग
- 2- समस्त अधीक्षण यंत्री,
लोक निर्माण विभाग
- 3- समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग

विषय :- भवनों के प्राक्कलन में विद्युतिकरण हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन करने बाबत ।

वर्तमान में भवन के सिविल कार्य के प्राक्कलन के साथ विद्युतिकरण हेतु 9 प्रतिशत की राशि प्राक्कलित की जाती है जो कि संशोधित विद्युत एस.ओ.आर 2008 में कॉपर कायला का प्राक्कलन होने के कारण, पर्याप्त नहीं होती है एवं कार्य की लागत बढ़ने से पुनरीक्षित प्राक्कलीय स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है । अतः इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1- भवन कार्य के विस्तृत प्राक्कलनों में सिविल कार्य के विस्तृत प्राक्कलन के साथ विद्युतिकरण का विस्तृत प्राक्कलन जिसमें आंतरिक एवं बाह्य विद्युतिकरण का कार्य सम्मिलित हो वह अनिवार्यतः समावेश किया जावे ।

2- अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि विद्युत कार्य का प्राक्कलन तत्काल उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में आवासीय भवनों एवं गैर आवासीय भवनों के आंतरिक विद्युतिकरण हेतु कम से कम 13 प्रतिशत एवं 17 प्रतिशत की राशि प्राक्कलन में जोड़ी जाये बाह्य विद्युतिकरण जिसमें ट्रांसफार्मर एवं अतिरिक्त पोल व कण्डक्टर लगाना हो उसका प्राक्कलन कर राशि प्राक्कलन में जोड़ी जावे ।

रूपार

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
म.प्र. भोपाल

भोपाल, दिनांक 4/4/2009

/ कार्य / वि / यां एस.ओ.आर / 2009. / 188

प्रतिनिधि :-

- 1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।
- 2- विशेष सहायक, मान. सत्रीजी, लोक निर्माण विभाग भोपाल ।

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
म.प्र. भोपाल